ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार सरकार

<u>आदेश</u>

आ०सं० :–3/अ०प्र०–1–19/18 995 /पटना, दिनांक :– 28.5.2020

श्री अवधेश कुमार राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर के विरूद्ध स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर में वर्ष–2017–18 में पदस्थापन के दौरान बैक डेटिंग के नियत से कार्यालय के निर्गत पंजी में खाली स्थान छोड़ने एवं निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–7/2017–18 में अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 666 अनु0 दिनांक 07.02.2018 द्वारा निलंबित करने एवं विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने की अनुशंसा की गयी।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री राम को अधिसूचना संख्या–531–सह–पठित ज्ञापांक 532 दिनांक 13.03.2018 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प संख्या–533 दिनांक 13.03.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. श्री राम द्वारा निलंबन आदेश के विरूद्ध समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अधिसूचना संख्या–1034–सह–पठित ज्ञापांक 1035 दिनांक 10.05.2018 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए निलंबन अवधि को विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निर्भर करने का आदेश निर्गत किया गया। इस प्रकार श्री राम दिनांक 13.03.2018 से दिनांक 09.05.2018 तक निलंबित रहे।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री राम से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। श्री राम से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त करते हुए अधिसूचना संख्या–330–सह–पठित ज्ञापांक 331 दिनांक 15.01.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(vii) के तहत कालमान वेतन के न्यूनतम प्रक्रम (पे लेवल–11 अंतर्गत 99,500 से 67,700) पर अवनति की शास्ति अधिरोपित की गयी।

5. श्री राम द्वारा अपने निलंबन अवधि के विनियमन हेतु विभाग को आवेदन दिनांक 14.03.2020 समर्पित किया गया था। श्री राम के विरूद्ध तत्समय विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय प्रक्रियाधीन रहने के कारण उन्हें यह सूचित किया गया कि निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय विभागीय कार्यवाही के अंतिम निर्णय के पश्चात् लिया जायेगा।

6. श्री राम के विरूद्ध प्रश्नगत मामले में विभागीय कार्यवाही के पश्चात दंड संसूचित कर दिया गया है। चूँकि श्री राम के विरूद्ध गठित आरोपों के आलोक में शास्ति अधिरोपित की गयी है।

अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11 के सुसंगत प्रावधान के तहत श्री राम के निलंबन अविध दिनांक 13.03.2018 से दिनांक 09.05.2018 में मात्र अनुमान्य जीवन निर्वाह् भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ गणना की जायेगी, के रूप में विनियमित किया जाता है।

Sd/- 27/5/2020
(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–19/18 995 पटना/दिनांक :– 28.5.2020

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), वीरचंद पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिया एवं निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 27/5/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–19/18 995 पटना/दिनांक :– 28.5.2020

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को वाद संख्या–1/(योजना एवं विकास) 01/2017 के आलोक में माननीय लोकायुक्त के न्यायिक सदस्य के अवलोकनार्थ प्रेषित।

Sd/- 27/5/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–19/18 995 पटना/दिनांक :– 28.5.2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेलसंड/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर/प्रशाखा पदाधिकारी–6/श्री अवधेश कुमार राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर, सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता– मो०–पूर्वी लक्ष्मीनगर खेमनीचक तेतरपथ, डाकघर–न्यु जगनपुरा, थाना–रामकृष्णानगर, जिला–पटना, पिन कोड–800030, मो०–8651748145 को सूचनार्थ प्रेषित।

27/5/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–19/18 995 पटना/दिनांक :– 28.5.2020

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

27/5/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–19/18 995 पटना/दिनांक :– 28.5.2020

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/5/2020

अपर सचिव